न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 214 सन् 2022

राज.सरकार

बनाम

मानसिंह पुत्र श्री जीतराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 02.05.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का दलपतपुरा ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मानसिंह पुत्र श्री जीतराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर द्वारा ग्राम दलपतपुरा के ख0न0 392/3 की कुल 0.5490 है0 गै0मु0 गोचर की भूमि पर सम्वत् 2079 में नाजायज रूप से दीवार बनाकर अतिक्रमण की पटवारी हल्का रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी स्वंय से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा गै0मु0 गोचर की भूमि पर नाजायज रूप से दीवार निकालने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक मेघाना एवं पटवारी हल्का को अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ